RAJAJI

कार्यालय–निदेशक/वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5/1, अंसारी मार्ग, देहरादून, 248001
फोन/फैक्स : 0135–2621669 ई–मेल : director.rajaji@gmail.com

पत्रांक 4510 /12-1 देहरादून, दिनांक 29/6/2022।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– **जनपद–उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कोटगांव (नैटवाड़) से कलाप मोटर मार्ग (लम्बाई–15.00किमी0) के निर्माण हेतु वांछित 11.115 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् पी0एम0जी0एस0वाई0, पी0आई0यू0 मोरी को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।**

सन्दर्भ :– आपकी पत्र सं0–2458/ FP/UK/ROAD/47302/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2022

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में उप निदेशक, गोविन्द वन्यजीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला ने अपनी पत्र सं0–2366/12–1, दिनांक 02–06–2022 के द्वारा विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की फाईल सं0–8बी/यू.सी.पी./06/174/2020/एफ0सी0/1533, दिनांक 04–02–2022 के द्वारा इंगित आपत्ति के निराकरण के सम्बन्ध में अवगत कराया है कि प्रस्तावित मार्ग गोविन्द वन्यजीव विहार के सेन्चुरी का भाग है इसलिये एन0पी0वी0 की दरें 5 गुना ली गयी है। उक्त के सम्बन्ध में उप निदेशक, गोविन्द वन्यजीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला का पत्रांक–1858/12–1, दिनांक 22–03–2022 जो आपको सम्बोधित तथा अन्य के साथ इस कार्यालय को पृष्ठांकित है जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है की प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न प्रेषित है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कृपा करें।

संलग्न–उक्तानुसार।

भवदीय

(डा0 साकेत बडोला)
निदेशक/वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून,
उत्तराखण्ड।

वन भूमि
04/7/2022

पत्रांक 4510/12-1/दिनांकित।

प्रतिलिपि– उप निदेशक, गोविन्द वन्यजीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला को उनकी पत्र सं0 2366/12–1, दिनांक 02–06–2022 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 साकेत बडोला)
निदेशक/वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय उप निदेशक, गो॰ व॰ जी॰ वि॰
पंजिका क्रमांक 65
पत्रावली संख्या 12-1
दिनांक 04/7/2022
वन भूमि आ॰ का॰ करें
आख्या दें

गोविन्द वन्यजीव विहार एवं राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड

कार्यालय—उपनिदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।

दूरभाष एवं फैक्स नं०—01373-223433, Email-gwlspurola@gmail.com

पत्रांक 1858/12—1 पुरोला दिनांक 22/3/2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः— **जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में कोटगांव (नैटवाड) से कलाप मोटर मार्ग (लम्बाई—15.00 कि०मी०) के नव निमार्ण हेतु 11.115 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (Online No. FP/UK/ROAD/47302/2020)।**

सन्दर्भः— **आपका का पत्रांक 2058/FP/UK/ROAD/47302/2020) दिनांक—24.02..2022।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम मे इस कार्यालय के पत्र सं०—1845/12—1 दिनांक 21.03.2022 से वन क्षेत्राधिकारी सुपिन रेज नैटवाड़ से जांच कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया उनके पत्रांक—431/1 दिनांक 21.03.2022 द्वारा आख्या उपलब्ध करायी **(संलग्नक—1)** वन क्षेत्राधिकारी सुपिन रेज, नैटवाड के अनुसार प्राप्त रिर्पोट का विवरण निम्न प्रकार हैः—

1. प्रस्तावित कार्य सुपिन रेज की कलाप बीट के कक्ष संख्या 1, 2, 3, 4, व 5 के अन्तर्गत आता है जो कि गोविन्द नेशनल पार्क के भाग मे अवस्थित नहीं है।
2. प्रस्तावित कार्य सुपिन रेज की कलाप बीट के कक्ष संख्या 1, 2, 3, 4, व 5 गोविन्द वन्य जीव विहार के सेन्चुरि का भाग है कलाप बीट के कक्ष संख्या 1, 2, 3, 4, व 5 का कोई भी कक्ष गोविन्द नेशनल पार्क के अन्तर्गत नही आता है गोविन्द वन्यजीव विहार एवं गोविन्द राष्ट्रीय पार्क का गजट नोटिफिकेशन **(संलग्नक—2, 3)** से स्पष्ट है।

चुकि उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रस्तावित मार्ग गोविन्द वन्य जीव विहार के सेन्चुरि का भाग है इसलिये एन०पी०वी० की दरे 5 गुना ली गयी है। अतः आपत्ति का निराकरण कर महोदय की सेवा मे अग्रेत्तर कार्यावाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नकः— **उपरोक्तानुसार।**

भवदीय,

(डी०पी०बलूनी)
उपनिदेशक,
गोविन्द वन्य जीव विहार/रा०पार्क
पुरोला, उत्तरकाशी

पत्रांक 1858 / **समदिनांकित**

प्रतिलिपिः— 1. निदेशक/वन संरक्षक राजाजी टाइगर रिर्जव, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2 अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, मोरी को सूचनार्थ प्रेषित।

(डी०पी०बलूनी)
उपनिदेशक,
गोविन्द वन्य जीव विहार/रा०पार्क
पुरोला, उत्तरकाशी

O/C

गोविन्द वन्यजीव विहार एवं राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड

कार्यालय–उपनिदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।

दूरभाष एवं फैक्स नं०–01373-223433, Email-gwlspurola@gmail.com

पत्रांक 1845/12–1 पुरोला दिनांक 21/3/2022

सेवा में,

वन क्षेत्राधिकारी
सुपिन रेंज, नैटवाड़
गोविन्द वन्य जीव विहार/रा० पार्क
पुरोला, उत्तरकाशी

विषयः– **जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में कोटगांव (नैटवाड) से कलाप मोटर मार्ग (लम्बाई–15.00 कि०मी०) के नव निमार्ण हेतु 11.115 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (Online No. FP/UK/ROAD/47302/2020)।**

सन्दर्भः– **अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के कार्यालय का पत्रांक 2058/ FP/UK/ROAD/47302/2020) दिनांक–24.02..2022।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति इस आशय से प्रेषित की कोटगांव (नैटवाड) से कलाप मोटर मार्ग (लम्बाई–15.00 कि०मी०) के अन्तर्गत पड़ने वाला भाग पर अपनी सुस्पष्ट आख्या देते हुये वस्तुस्थति से अवगत कराना सुनिशिचत करें ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यावाही की जा सके।

संलग्नकः– **उपरोक्तानुसार।**

O/c.

भवदीय

(डी०पी०बलूनी)
उपनिदेशक,
गोविन्द वन्य जीव विहार/रा०पार्क
पुरोला, उत्तरकाशी

कार्यालय, वन क्षेत्राधिकारी, सुपिन रेंज नैटवाड़
गोविन्द वन्यजीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क, पुरोला

पत्रांक 431/1 नैटवाड़ दिनांक 21 मार्च 2022

सेवा में,

उप निदेशक
गोविन्द वन्यजीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क
पुरोला, उत्तरकाशी।

विषय– **जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में कोटगांव (नैटवाड़) से कलाप मोटर मार्ग (ल0 15.00 किमी0) के नव निर्माण हेतु 11.115 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन ।**

संदर्भ :– आपका पत्रांक 1845/12–1 पुरोला दिनांक 21/03/2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में मुझ द्वारा संदर्भित मोटर मार्ग के क्षेत्रों का अभिलेखीय परीक्षण एवं वन क्षेत्र का निरीक्षण किया गया जिसमें निम्न तथ्य प्रकाश में आये

1. संदर्भित कार्य सुपिन रेंज की कलाप बीट के कक्ष संख्या 1, 2, 3, 4 व 5 में प्रस्तावित है **(संलग्नक 1, 2, 3,)।**
2. सुपिन रेंज की कलाप बीट के कक्ष संख्या 1, 2, 3, 4 व 5 गोविन्द वन्यजीव विहार के अन्तर्गत है इनमें से कोई भी कक्ष गोविन्द राष्ट्रीय पार्क का हिस्सा नहीं है जो कि गोविन्द वन्यजीव विहार एवं गोविन्द राष्ट्रीय पार्क के संलग्न नोटिफिकेशन **(संलग्नक 4, 5,)** से स्पष्ट है।
3. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि एन0पी0वी0 दर के आकलन हेतु गोविन्द वन्यजीव विहार की दर से आकलित किया जाना सही है। एन0पी0वी0 दर के आकलन हेतु गोविन्द राष्ट्रीय पार्क में नही होने से राष्ट्रीय पार्क की एन0पी0वी0 दर 10 गुणा से आकलित नहीं किया जाना चाहिये।

अतः जांच रिपोर्ट महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलनक– उरोक्तानुसार

भवदीय,
(ज्वाला प्रसाद)
वन क्षेत्राधिकारी,
सुपिन रेंज, नैटवाड़।

उत्तराखण्ड शासन
वन एवं पर्यावरण

अधिसूचना

संख्या–4000 / X-2-2013-19(32)/2002
दिनांक–09 अक्टूबर 2013

चूँकि राज्य सरकार की राय है कि वह क्षेत्र जिसके ब्यौरे नीचे दी गयी अनुसूची में समाविष्ट है, वन्य जीवों और उनके पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और विकास के प्रयोजन के लिये पारिस्थितिकी, प्राणीजात, पादपजात, भू–आकृति , प्राकृतिक और प्राणी तत्वीय महत्व का है;

और चूँकि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धार 35(1) के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना उत्तरप्रदेश शासन की अधिसूवना सं0 **394 / XIV-3-137/86** दिनांक–26 फरवरी 1990 द्वारा निगर्तत किया गया था;

और चूँकि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 19 से 26 तक समस्त कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है;

अतएव, राजयपाल, अब वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (1972 का नं0 53) की धारा 25(4) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके जिला उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड़ मे 558.88 वर्ग कि0मी0 क्षेत्रफल के उक्त क्षेत्र को ''**गोविन्द राष्ट्रीय उद्यान**'' ज्ञात नाम से राष्ट्रीय उद्यान के रुप में घोषित करते है।

अनुसूची

गोविन्द राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित क्षेत्र तथा उनकी सीमाऐं निम्न प्रकार है:

(एक) उत्तरः

लिवाडी कक्ष सं0 4 व 5 के मिलान पर मझीबन दर्रे से हिमाचल प्रदेश व उत्तराखण्ड़ के अन्तरराज्यीय सीमा धार होते हुए टौंस व गंगा नदियों के जलागम क्षेत्र विभाजन शिखर 5905 मी0 तक

(दो) पूर्वः

शिखर 5905 मी से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख्य धार होते हुए बंदरपूँछ शिखर 6316 मी0 तक

(तीन) दक्षिणः

बंदरपूँछ शिखर से टौंस व यमुना नदियों का मुख्य जलागम विभाजन धार होते हुए उस धार पर पुस्तारागाड़ व गियागाड़ आरक्षित वन के मिलान तक

मन्द्राला आरक्षित वन खण्डों के बाहरी सीमा होते हुए रुईन्सारा गाड़ व हरकीदून गाड़ के संगम तक; तत्पश्चात ऊपर की ओर हरकीदूर गाड़ होते हुए मनिन्दा कक्ष सं0 3 व 6 के मिलान तक; तत्पश्चात मनिन्दा कक्ष सं0 6 व 4, ओबरागाड़ कक्ष सं0 9 व 8 तथा लिवाडी कक्ष सं0 7 व 5 दक्षिणी सीमा होते हुए मझीबन दरें तक।

राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल विवरण:

आरक्षित वनों का सुदूर, दुर्गम, हिमाच्छादित, हिमनद क्षेत्रों में होने के कारण क्षेत्रफल का आंकलन पूर्व में सी तरीके से नहीं हो पाए है। अतः मानचित्र से जी0आई0एस0 सॉफ्टवेयर से क्षेत्रफल आंकलन के पश्चात, आरक्षित वन खण्डों के अतिरिक्त क्षेत्रफल जो पूर्व में मापन नहीं किया गया था को भी सम्मिलित किया है। उपरोक्त बाहरी सीमाओं से सीमांकित राष्ट्रीय उद्यान मे निम्न आरक्षित वन क्षेत्र सम्मिलित होगें:

रेंज	आरक्षित वन खण्ड	कक्ष सं0	क्षेत्रफल है0 में
सुपिन	ओबरागाड़	8,9	3814.64
सुपिन	लिवाडी	5 to 7	4673.10
सॉकरी	पोस्तारा	1 to 5	1421.26
सॉकरी	बटगैर	1 t0 7	2688.73
सॉकरी	माहनीर	1 to 5	2626.01
सॉकरी	सियॉगाड	1 to 7	1914.57
सॉकरी	रुईन्सारा	1 to 6	13033.72
सॉकरी	मन्द्राला	1 to 7	1927.69
सॉकरी	मनिन्दा	4 to 6	9312.64
सॉकरी	हरकीदून	1 to 5	6142.73
उपरोक्त के अंतर्गत अतिरिक्त असर्वेक्षित क्षेत्र			8355.52
		Total	55887.61

कुल क्षेत्रफल = 558.88 वर्ग कि0मी0

राष्ट्रीय उद्यान के उपरोक्त सकल सीमा के अन्तर्गत कोई राजस्व ग्राम के चक नहीं हैं।

आज्ञा से

(एस0रामास्वामी)

प्रमुख सचिव

			140.9	–
	गियागाड़	1 to 6	2080.48	–
	सिरगा	1 to 4	397.4	–
री	डाटमीर	1 t0 7	1412.35	–
करी	ओसला	1 t0 7	3258.96	–
ांकरी	मनिन्दा	1 t0 3	1275.16	–
रुपिन	नुरानू	1 t0 5	640.62	–
रुपिन	जापुड	1 to 4	337.91	–
रुपिन	रुपिन	1 to 7	667.73	–
रुपिन	समरोड़	1 to 6	764.49	–
रुपिन	इस्तरागाड़	1 to 17	2258.55	–
रुपिन	भिलधार	1 to 6	902.86	–
रुपिन	हटवाडी	1 to 4	579.51	–
रुपिन	सेवा	1 to 8	1298.64	–
रुपिन	सिलाला	1 to 3	387.28	–
रुपिन	कापरागाड़	1 to 9	1028.32	–
रुपिन	मौजीगाड़	1 to 8	2459.68	–
रुपिन	मसरी	1 to 6,8 to 10	1840.91	मसरी 7 छोड़ा गया
रुपिन	पुजेली	1 to 7	726.41	पुजेली 8 छोड़ा गया
रुपिन	दोनी	1,5,6	615.53	दोनी 2,3,4,7 छोड़ा गया
योग			48105.01	

कुल क्षेत्रफल = 48105.01 है0 या 481.05 वर्ग कि0मी0

सूचना आरक्षित वनों के सिविल व कृषि भूमि से (देवरा कक्ष सं0 2 तथा अभ्युक्ति के स्तम्भ में दिए गए सूचना आरक्षित वनों के सिविल व कृषि भूमि से घिरे हुए छुट पुट एकल कक्षों को अभ्यारण्य की अधिसूचना से पृथक रखा गया है।)

स्थानीय जनता के आरक्षित वनों के समस्त वन अधिकार एंवहक–हकूक तथा सामुदायिक अधिकार पूर्व की भांति यथावत् बने रहेंगे।

समस्त राजस्व ग्राम तथा तोक जो आरक्षित वन के सीमा के अन्दर सीमांकित चक के रुप मे अथवा अन्य तोक जो अभ्यारण्य के सकल सीमा के अन्तर्गत आता है, इस अधिसूचना की सीमा से बाहर होगा तथा इस प्रकार यह अभ्यारण्य का भाग नही होगा। ये ग्रामीण अपने सामुदायिक वन अधिकारों का उपयोग कर सकते है जिसमें उनके गाँवों को जोड़ने वाली सड़के व बटियाऐं जो अभ्यारण्य के अन्तर्गत है तथा अभ्यारण के अन्तर्गत नदी तटों में स्थित परम्परागत शमशान घाटों का उपयोग या अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा प्रदत्त किसी अन्य सामुदायिक वन अधिकार सम्मिलित होंगे।

आज्ञा से

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव

उत्तराखण्ड शासन

वन एवं पर्यावरण

अधिसूचना

सं0 4001/X-2-2013-19(32)/2002

दिनांक–09 अक्टूबर 2013

चूंकि राज्य सरकार की राय है कि वह क्षेत्र जिसके ब्यौरे नीचे दी गयी अनुसूची में समाविष्ट है, वन्य जीवों और उनके पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और विकास के प्रयोजन के लिये पारिस्थितिकी, प्राणीजसत, पादपजात, भू–आकृति, प्राकृतिक और प्रार्णी तत्वीय महत्व का है;

और चूंकि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना उत्तरांचल शासन के अधिसूचना सं0 1128/X-2-2004-19(1)/2004 दिनांक 16 जून 2004 द्वारा निर्गत किय गया था;

और चूंकि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 19 से 26 तक समस्त कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है;

अत्एव, राज्यपाल अब वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का नं0 53) की धारा 26क (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके जिला उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड़ में 481.05 वर्ग कि0मी0 क्षेत्रफल के उक्त क्षेत्र को **''गोविन्द वन्यजीव अभ्यारण्य''** ज्ञात नाम से अभ्यारण्य के रुप में घोषित करते है।

अनुसूची

गोविन्द वन्यजीव अभ्यारण्य में सम्मिलित क्षेत्र तथा उनकी सीमाऐं निम्न प्रकार हैः–

(एक) उत्तरः

सिलाली कक्ष सं0 1 के पश्चिमी छोर जहाँ रुपिन नदी हिमाचल प्रदेश से उत्तराखण्ड प्रदेश में प्रवेश करती है से ऊपर की ओर हिमाचल प्रदेश व उत्तराखण्ड़ के सीमा धार होते हुए धाकमीर धार व भराडसर धार होते हुए माझीबन शिखर 4973 मी0 तक; ततपश्चात शिखर से नीचे लिवाड़ी कक्षा सं0 4 व 5 के मिलान पर पतंगरी धार के दर्रे तक।

(दो) पूर्वः

पतंगरी दर्रे से नीचे की ओर लिवाडी कक्ष सं0 4 व 5 के सीमा धार होते हुए सुपिन नदी तक; तत्पश्चात नदी के ऊपर की ओर बसलावा धार के तल तक; तत्पश्चात बसलावा धार होते हुए ओबरागाड़ कक्ष सं0 8 के मिलान तक; ततपश्चात ओबरागाड़ कक्ष सं0 8 के दक्षिणी सीमा होते हुए ओबरागाड़ नदी तक; तत्पश्चात ओबरागाड़ कक्ष सं0 9 के दक्षिणी सीमा होते हुए मनिन्दा कक्ष सं0 4 के मिलान पर 5554 मी0, शिखर तक; तत्पश्चात मनिन्दा कक्ष0 सं0 3 व 4 के बीच गधेरा होते हुए हरकीदून गाड़ के संगम तक।

कार्यालय–उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।

पुरोला, दूरभाष एवं फैक्स नं0 – 01373-223433, Email - gwlspurola@gmail.com

पत्रांक 1127 / 12-1 पुरोलाः दिनांक– 15/12/2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून

विषयः– **जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में कोटगांव (नैटवाड) से कलाप मोटर मार्ग (लम्बाई 15.00 किमी0) के नव निर्माण हेतु 11.115 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भः– **भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के कार्यालय की पत्र संख्या –8बी./यू.सी.पी./06/174/2020/एफ0सी0/877, दिनांक–18.10.2021 एवं अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई, पी0आई0यू–मोरी, उत्तरकाशी के कार्यालय की पत्र संख्या–316/PMGSY/MORI/2021, दिनांक–29.11.2021।**

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित सन्दर्भित पत्र के क्रम मे अवगत कराना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के कार्यालय के स्तर से जनपद उत्तरकाशी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत विकास खण्ड मोरी में कोटगांव (नैटवाड़) से कलाप मोटर मार्ग (लम्बाई–15.00 कि0मी0) के नव निर्माण के अनुपालन आख्या में पाई गई कमियों का निराकरण कर आख्या निम्न प्रकार अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित हैः–

<table>
<tr><th>S. No.</th><th>Proposal No.</th><th>Objection</th><th colspan="3">Clarification</th></tr>
<tr><td rowspan="5">1.</td><td rowspan="5">FP/UK/ROAD/ 47302/2020</td><td rowspan="5">As per the direction given by the REC, the revised NPV calculation sheet has been submitted for Rs. 1,80,61,875/- as the area 2.565 ha. falls in National Park/Wildlife Sanctuary. But the amount deposited is Rs. 4,69,60,875/-. State Government has taken five times of NPV for the complete area Proposed for diversion. This discrepancy need to be clarified and corrected accordingly.</td><td colspan="3">भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तराखण्ड, देहरादून की फाईल संख्या–F.No. 5-2/2017- FC, दिनांक–28 मार्च 2019 के क्रम में Chapter 3, Net Present Value के Table No. 2 के बिन्दु संख्या 2 एवं 4 के अनुसार धनराशि जमा की गई है। (संलग्नक–01)</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Forest land falling in National Parks, if permitted in exceptional circumstances</td><td>10 times NPV for the forest area</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Forest land falling in Wildlife Sanctuaries, if permitted in exceptional circumstances</td><td>5 times NPV for the forest area</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Non-forest land falling within the National Parks and Wildlife Sanctuaries, if permitted.</td><td>NPV payable for the adjoining forest area</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Non-forest land falling within marine National Parks/Wildlife Sanctuaries, if permitted</td><td>5 times NPV for adjoining forest areas</td></tr>
</table>

		5.	Re-diversion of already diverted forest land	Normal NPV for re-diverted forest land, except when such re-diversion is for the same UA and for same project (i.e. change of land use for the same project for which diversion has been approved)
		6.	Mining area broken up before 25.10. 1980	Normal NPV for the forest area at the time of renewal of minin lease.
		नोट– प्रश्नगत मोटर मार्ग में उपयोग होने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:– 1. संरक्षित वन भूमि – 2.565 है0 2. सिविल सोयम भूमि – 8.550 है0 कुल भूमि – 11.115 है0 चूंकि उक्त भूमि गोविन्द वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क, के वन्य जीव विहार के अन्तर्गत है जिस कारण एन0पी0वी0 का 5 गुना लिया गया है।		
2.		As per the demand note prepared for the fund deposited against C.A., the total of the amount comes to Rs.74,95,600/- but the same found miscalculated as Rs. 78,32,784.32, The State Government may submit clarification in this regard and provide the correct CA scheme to this office.	उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण के आंगणन को वर्तमान दर **(1 फरवरी 2020)** के अनुसार संशोधित कर प्रेषित किया जा रहा है, जिसके अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रु0 78,32,784.32, धनराशि जमा की गई है। **(संलग्नक–02)**	

अतः सूचना महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डी0पी0बलूनी)
उप निदेशक,
गोविन्द वन्य जीव विहार / रा0पा0
पुरोला, उत्तरकाशी।

पत्रांक / समदिनांकित

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई, पी0आई0यू–मोरी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(डी0पी0बलूनी)
उप निदेशक,
गोविन्द वन्य जीव विहार / रा0पा0
पुरोला, उत्तरकाशी।

Chapter 3

Net Present Value

3.1 In pursuance of the orders of 29th Oct 2002 of the Supreme Court in Writ Petition (Civil) No. 202/95 in addition to the funds realized for compensatory afforestation, the Net Present Value (NPV) of forest land diverted for non- forest purposes is also to be recovered from the user agencies, for undertaking forest protection, other conservation measures and related activities.

3.2 NPV is recoverable in all cases where diversion is approved on or after 29th Oct 2002 and also the cases for which in-principle clearance was granted before 29th October 2002 and final clearance after that.

3.3 In their orders of 28th March 2008, 28th April 2008 and 9th May 2008, the Apex Court decided the rates of NPV per ha. of the forest area diverted effective from 28th March 2008 for three years and subject to variation after three years, and also exemptions in specified categories of non-forest uses.

3.4 NPV Rates

The rates of NPV recoverable from the User Agency with effect from 28th March 2008 depending upon the type of forest land diverted are as mentioned below:

Eco-Value class	VDF	DF	OF
	NPV (in Rs.)		
Class I	10,43,000	9,39,000	7,30,000
Class II	10,43,000	9,39,000	7,30,000
Class III	8,87,000	8,03,000	6,26,000
Class IV	6,26,000	5,63,000	4,38,000
Class V	9,39,000	8,45,000	6,57,000
Class VI	9,91,000	8,97,000	6,99,000

Eco-Class I - Tropical Wet Evergreen Forests,
Tropical Semi Evergreen Forests and
Tropical Moist Deciduous Forests

Eco- Class II- Littoral and Swamp Forests

Eco-Class III- Tropical Dry Deciduous Forests

Eco-Class IV - Tropical Thorn Forests and Tropical Dry Evergreen Forests

Eco-Class V - Sub-tropical Broad-Leaved Hill Forests,
Sub-Tropical Pine Forests and
Sub-Tropical Dry Evergreen Forests

Eco-Class VI - Montane Wet Temperate Forests,
Himalayan Moist Temperate Forests,
Himalayan Dry Temperate Forests,
Sub Alpine Forest,
Moist Alpine Scrub and Dry Alpine Scrub

However, for following specified areas of diversion/ projects the following rates of NPV will be applicable:

1.	Forest land falling in National Parks, if permitted in exceptional circumstances	10 times NPV for the forest area
2.	Forest land falling in Wildlife Sanctuaries, if permitted in exceptional circumstances	5 times NPV for the forest area
3.	Non-forest land falling within the National Parks and Wildlife Sanctuaries, if permitted.	NPV payable for the adjoining forest area
4.	Non-forest land falling within marine National Parks / Wildlife Sanctuaries, if permitted	5 times NPV for adjoining forest areas
5.	Re-diversion of already diverted forest land	Normal NPV for re-diverted forest land, except when such re-diversion is for the same UA and for same project (i.e. change of land use for the same project for which diversion has been approved)
6.	Mining area broken up before 25.10. 1980	Normal NPV for the forest area at the time of renewal of mining lease.

3.5 Exemption from payment of NPV

The following category of projects have been given exemption to the extent mentioned in the list below:

S. No.	Category	Particulars of Exemptions
1.	(i) Schools (ii) Hospitals (iii) Children's playground of non-commercial nature (iv) Community centers in rural areas (v) Over-head tanks (vi) Village tanks, (vii) Laying of underground drinking water pipeline up to 4" diameter (viii) Electricity distribution line up to 22 KV in rural areas	Full exemption up to 1 ha., of forest land provided: (a)no felling of trees is involved (b)alternate forest land is not available; (c)the project is of non-commercial nature and is part of the Plan/Non-Plan Scheme of Government; and (d)area is outside any National Park or Wild Life Sanctuary.

संलग्नक-02

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

परियोजना का नाम :– जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत कोटगांव (नैटवाड) से कलाप मोटर मार्ग (परियोजना की लम्बाई–15.00 कि0मी0) क्षेत्रफल–11.115

मोटर मार्ग निर्माण में काटे गये वृक्षों के एवज में दोगुने अवनत क्षेत्रफल में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आंकलन

वृक्षारोपण स्थल का नाम – क्षेत्रफल है0 – 11.115

दोगुना क्षेत्रफल है0 – 22.23

क्र0स0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	दर	प्रति	धनराशि
1	सर्वे एवं सीमांकन	22.23	है0	181.00	है0	4,023.63
2	क्षेत्र की सफाई (झाडी कटान आदि)	22.23	है0	5,436.00	है0	120,842.28
3	अग्रिम दीवालबन्दी (फेन्सिग) 84 घन मी0 प्रति है	84	घन मी0	291.00	घन मी0	24,444.00
4	कन्टूर फरो का खुदान करना, बीज बाना आदि (300 र0मी0 प्रति है0) मृदा जल संरक्षण हेतु कच्चे वाल–चाल–खाल, वाटर होल आदि का निर्माण करना	-	-	L.S.	-	3,951,548.00
5	गड्डा खुदान (0.30X0.30X0.45)	44460	गड्ढे	11.42	गड्ढे	507,733.20
6	निरीक्षण बटिया बनाना	22.23	है0	1,095.00	है0	24,341.85
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष 75 प्रतिशत)	44460	पौध	9.75	पौध	433,485.00
8	अन्य व्यय जैसे यन्त्र, संयन्त्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यो पर व्यय	22.23	है0	489.00	है0	10,870.47
					योग :– प्रथम चरण	**5,077,288.43**
द्वितीय चरण –						
1	गड्डा भरान (0.30X0.30X0.45)	44460	गड्ढे	1.30	गड्ढे	57,798.00
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष) कुल व्यय का 25 प्रतिश	44460	पौध	1.05	पौध	46,683.00
3	पौध ढुलान कार्य	44460	पौध	7.79	पौध	346,343.40
4	पौधरोपण व थावलबन्दी	44460	पौध	3.87	पौध	172,060.20
5	निराई–गुणत्राई व मल्विंग (दो बार)	44460	गड्ढे	5.05	गड्ढे	224,523.00
6	खाद व दवा पर खर्च	44460	गड्ढे	25%	गड्ढे	11,115.00
7	रोपण वर्ष में वृक्षारोपण की देख–रेख व रखाव पर व्यय 18 माह	18	माह	8,584.00	माह	154,512.00
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घस–फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना	22.23	है0	376.00	है0	8,358.48
9	8.2 सुरक्षा दीवाल /घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ	22.23	है0	277.00	है0	6,157.71
					योग :– प्रथम चरण	**1,027,550.79**
तृतीय चरण						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	24	माह	8,584.00	माह	206,016.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	22.23	है0	684.00	है0	15,205.32
					योग :–	**221,221.32**

1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	24	माह	8,584.00	माह	206,016.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	22.23	है0	684.00	है0	15,205.32
					योग :–	**221,221.32**
पंचम चरण						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	24	माह	8,584.00	माह	206,016.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	22.23	है0	684.00	है0	15,205.32
					योग :–	**221,221.32**
षष्ठम चरण						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	24		6,870.00	माह	164,880.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	22.23		653.00	है0	14,516.19
					योग :–	**179,396.19**
सप्तम चरण						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	24	माह	8,584.00	माह	206,016.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	22.23	है0	684.00	है0	15,205.32
					योग :–	**221,221.32**
अष्टम चरण						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	24	माह	8,584.00	माह	206,016.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	22.23	है0	684.00	है0	15,205.32
					योग :–	**221,221.32**
नवम चरण						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	24	माह	8,584.00	माह	206,016.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	22.23	है0	684.00	है0	15,205.32
					योग :–	**221,221.32**
दशम चरण						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त दशम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	24	माह	8,584.00	माह	206,016.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	22.23	है0	684.00	है0	15,205.32
					योग :–	**221,221.32**
					कुल योग :–	**7,832,784.65**

Rs. :- **7832784.65**

Say :- **7832784.32**

परियोजना निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भुमि के सापेक्ष दोगुने अवनत क्षेत्रफल में आवश्यक धनराशि

उपनिदेशक
गोविन्द वन्यजीव विहार/राष्ट्रीय पा
पुरोला (उत्तरकाशी)

कार्यालय
स्थानिक अभियन्ता
(पी०एम०जी०एस०वाई० कार्य)
पी०आई०यू० मोरी,
उत्तरकाशी

Email:1. piumori@wapcos.co.in
Mob :-1.+911373234355,
2.+91-9410927114

पत्रांक संख्याः— 316 / PMGSY/MORI/2021 दिनाँक 29 / 11 / 2021

सेवा मे,

उप निदेशक
गोविन्द वन्य पशु विहार, पुरोला
उत्तरकाशी ।

विषयः— जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कोटगांव (नैटवाड़) से कलाप मोटर मार्ग (लम्बाई 15.00 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु 11.115 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (Online No. FP/UK/ROAD/47302/2020)

सन्दर्भः— 8बीं / यू0सी0पी0 / 06 / 174 / 2020 / एफ0सी0 / 877. / दिनाँक 18 / 10 / 2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग को भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक–संख्या 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 174 / 2020 / एफ0सी0 / 2318,दिनाँक 18 / 02 / 2021 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसकी अनुपालन आख्या प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा पत्रांक संख्या 278 / पी0एन0जी0एस0वाई0 / 2021–22 दिनाँक 09 / 09 / 2021 द्वारा आपके कार्यालय को प्रेषित की गई थी। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या में कमियां पाई गई है जिसकी पूर्ति राज्य सरकार से अपेक्षित है।

अतः महोदय से अनुरोध है सन्दर्भित पत्र मे दर्ज कमियों का निराकरण कर कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून मे सुचना प्रेषित करने की कृपा करें, ताकि उक्त प्रकरण मे अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः— सन्दर्मित पत्र।

29.11.2021
For अधिशासी अभियंता
पी0एम0जी0एस0वाई0–पी0आई0यू0–मोरी
उत्तरकाशी

प्रतिलिपिः— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फारेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सुचनार्थ प्रेषित ।

अधिशासी अभियंता
पी0एम0जी0एस0वाई0–पी0आई0यू0–मोरी
उत्तरकाशी

Scanned with CamScanner

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/174/2020/एफ0 सी0/877

दिनांक: 18/10/2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:– जनपद उत्तरकाशी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में कोटगांव (नैटवाड़) से कलाप मोटर मार्ग (लम्बाई – 15.00 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु 11.115 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/47302/2020)

सन्दर्भ:–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 895/FP/UK/ROAD/47302/2020 दिनांक 30-09-2021

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 18.02.2021 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसकी अनुपालना राज्य सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है प्रस्तुत अनुपालन आख्या में निम्नलिखित कमियां पाई गयी है जिसकी पूर्ति राज्य सरकार से अपेक्षित है:–

1- As per the direction given by the REC, the revised NPV calculation sheet has been submitted for Rs. 1,80,61,875/- as the area 2.565 ha falls in the National Park/ Wildlife Sanctuary. But, the amount deposited is Rs. 4,69,60,875/-. State Government has taken five times of NPV for the complete area proposed for diversion. This discrepancy need to be clarified and corrected accordingly.

2. As per the demand note prepared for the fund deposited against CA, the total of the amount comes to Rs. 74,95,600/- but the same found miscalculated as Rs. 78,32,784.32 The State Government may submit clarification in this regard and provide the correct CA scheme to this office.

भवदीय,

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

Scanned with CamScanner